

मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान
समन्वय समिति बैठक
18 नवम्बर 2017

अभियान की समन्वय समिति बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2017 को पैस्टोरल सेंटर भोपाल में हुई जिसमें राज्य समन्वय समिति के 12 सदस्य व् CHSJ से 3 साथी उपस्थित थे जिनके नाम निम्नानुसार हैं-

1. सुशील शर्मा
2. दीपा सिकरवार.
3. स्मृति
4. दीपक भट्ट
5. अजय कुमार यादव
6. रामजी शरण राय
7. सुरेन्द्र शर्मा
8. सुमन सिंह
9. सावित्री सिंह
10. आर एस गौड़
11. निधि शुक्ला
12. सुरेश केवट
13. शकुंतला कुशवाहा
14. प्रेमदास
15. संध्या गौतम
16. रुद्रक्षिना

अजेंडा

समय	सेशन का नाम
10:00-10:30	स्वागत व् सन्दर्भ बांधना
10:30-10:45	चाय ब्रेक
10:45-12:00	MHRC रिव्यु पर प्रस्तुतीकरण- दीपक भट्ट द्वारा
12:00-1:00	प्रस्तुतीकरण पर चर्चा
1:00-1:45	लंच ब्रेक
1:45-3:00	पूर्व समन्वय समिति बैठक update-
3:00-4:00	आगे के कार्य हेतु संभावनाओं और रणनीति पर चर्चा
4:00-4:15	चाय ब्रेक
4:15-5:30	आगे के कार्य हेतु संभावनाओं और रणनीति पर चर्चा
5:30-6:00	यात्रा व्यय भुगतान

सेशन 1: अभियान का परिचय एवं सन्दर्भ बांधना

इस बैठक की शुरुआत सभी साथियों के परिचय से की गयी क्योंकि हमारे बीच 4 नए साथी जुड़े थे जो थे- ग्वालियर से दीपा सिकरवार, जबलपुर से अजय कुमार यादव, गुना से सुरेश केवट और अशोकनगर से सुरेन्द्र शर्मा।

इसके पश्चात् वरिष्ठ साथियों द्वारा अभियान की शुरुआत व कार्य के बारे में बताया। सावित्री जी ने सन्दर्भ बांधते हुए मध्य प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति और सरकार की लापरवाही के बारे में बात की जिसके बाद सुशील जी ने अभियान की शुरुआत के बारे में बताया। गौर जी ने बड़वानी में हुई मातृ मृत्यु पर एकजुट हुए संगठनों व उसके पश्चात् अभियान के गठन के बारे में बताया। रामजी द्वारा अभियान के वर्तमान समन्वयन ढाँचे के बारे में बताया जैसे कि राज्य समन्वय समिति, आयोजक समिति संभाग स्तरीय समन्वय समिति, जिला समिति आदि।

प्रेमदास जी ने अभियान द्वारा की गयी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जैसे कि समुदाय आधारित निगरानी, जनसंवाद, नसबंदी शिविर अवलोकन आदि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखीं जैसे-

- अभियान में मल्लिकयत साथी संस्थाओं की है और इसलिए ही स्थानीय व सामूहिक नेतृत्व को बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है।
- CHSJ द्वारा सक्रीय साथियों को मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने हेतु हमेशा तकनीकी सहयोग दिया जाता रहा है परन्तु यह समझना भी आवश्यक हो जाता है कि CHSJ कोई दानदाता नहीं है और हमारा focus केवल स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना और अभियान को मजबूत करने पर केन्द्रित है।
- स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देकर सक्षम बनाना आवश्यक है ताकि आने वाले 2 साल में सचिवालय को स्थानीय साथियों को सौंपा जा सके क्योंकि यह अभियान मध्य प्रदेश का है और राज्य में काम कर रही संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।
- अभियान को चलाने में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कार्य की गति और साथियों का उत्साह बहुत होगा और कभी एकदम ही कम परन्तु यह हर अभियान में होता है और ऐसे में साथियों को धैर्य रखने की और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भी पिछली बैठक में बात की गयी थी और CHSJ इसको लेकर प्रतिबद्ध है। आने वाले सालों में हम अभियान में पुरुष और महिला साथियों की बराबर की भूमिका देखना चाहते हैं।

- साथियों को इस बारे में भी सचेत किया कि वर्तमान में फंडिंग का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और उसमें मध्य प्रदेश में फंड देने की संभावनाएं कम हो गयी हैं क्योंकि दान दाताओं का focus उत्तर पूर्वीय राज्यों या फिर बिहार झारखण्ड उड़ीसा की तरफ है।
- ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाएं अपने स्तर पर फंडिंग के अवसर तलाशें जिसमें वह CHSJ को तकनीकी सहयोग संस्था के रूप में शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर CHSJ की एक पहचान है और ऐसी संस्था का तकनीकी सहयोगी के रूप में होना महत्वपूर्ण होता है।

सावित्री जी का कहना था कि अभियान के कार्य से अवश्य ही एक पहचान बनी है जिले स्तर पर और मिडिया के साथी भी प्रशिक्षण के बाद संवेदनशील हुए हैं और हमारे साथ आये हैं। सामुदायिक निगरानी प्रक्रिया के पश्चात् काफी चहल पहल हुई थी जिले में और कुछ जगहों पर enquiry भी हुई थी जिससे प्रशासन में भी पहचान बनी है कि यह अभियान के साथी मातृत्व स्वास्थ्य पर नज़र रखने वाले और काम करने वाले लोग हैं। सभी साथियों ने अपनी क्षमताओं व उपलब्ध समय के अनुसार इन मुद्दों की अगुवाई की है और सफलता भी मिली है। उनके अनुसार इन मुद्दों पर काम करने हेतु साथियों की commitment ज्यादा आवश्यक है न कि वित्तीय संसाधन।

इसी क्रम में प्रेमदास जी ने दीपक भट्ट जी द्वारा किये गए कार्य के बारे में संक्षिप्त में बताया जिसके पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

सेशन 2: अभियान के कार्य की समीक्षा

दीपक जी द्वारा किये गए प्रस्तुतीकरण में उन्होंने साथियों से हुई चर्चा के आधार पर अभियान की ताकत, कमज़ोरी व संभावनाएं बतायीं।

ताकत	कमज़ोरी
<ul style="list-style-type: none"> • अभियान की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और प्रमुख अंचलों में मौजूदगी। • राज्य व राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क के साथ जुड़ाव। • अभियान के साथियों के क्षमता वर्धन पर focus। • संस्थाओं के साथियों की स्वैच्छिक सहभागिता। • मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दे पर महिला 	<ul style="list-style-type: none"> • अभियान में महिलाओं की भागीदारी की कमी • प्रचार प्रसार सामग्री में कमी • लोकतांत्रिक भागीदारी की कमी • केवल कुछ साथियों का सक्रीय जुड़ाव • सतत रूप से कार्य करने हेतु कार्यकर्ता की कमी • धरातल पर निरन्तर निगरानी प्रक्रिया नहीं

<p>सम्बैदी और आधारगत नज़रिया </p> <ul style="list-style-type: none"> मीडिया के साथियों के साथ जुड़ाव और पैरोकारी के मौके संवैधानिक आयोगों तक पहुँच एवं पहचान 	<ul style="list-style-type: none"> आपसी संचार के माध्यम कमज़ोर
<p>सम्भावनाएं</p> <ul style="list-style-type: none"> धरातल पर अभियान की पहुँच व पकड़ को मज़बूत करना हेतु रणनीति बनाना राज्य स्तर पर अभियान की पहचान व प्रशानिक सम्बन्ध बढ़ाना वंचित समुदाय के साथ कार्य हेतु विशेष रणनीति बनाना जिला स्तरीय नेतृत्व को मजबूत करना महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की विशेष आवश्यकता प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण एवं वितरण 	<p>चुनौतियाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रशासनिक दबाव वित्तीय संसाधनों की कमी अधिकारगत नज़रिए से काम करने वाला एकमात्र अभियान संस्थाओं व साथियों के लम्बे समय तक जुड़ाव की कमी संस्थाओं के आंतरिक संघर्ष अभियान के साथियों के आपसी द्वन्द

महिलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व

इस मुद्दे पर दीपक जी से थोड़ा और स्पष्टीकरण माँगा गया था और उन्होंने समझाया कि धरातल पर महिलाओं के साथ भेदभाव एवं पितृसत्तात्मक सोच प्रबल है और इन मुद्दों पर कार्य की आवश्यकता है। साथ ही अभियान की साथी संस्थाओं में भी जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिले। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुषों के जुड़ाव को कम आँका जाए परन्तु सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व होना चाहिए।

अन्य साथियों द्वारा अपनी बात रखी गयी

- जिम्मेदार पितृत्व अभियान के तहत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु काफी मेहनत की गयी थी और काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई थी परन्तु यह सतत नहीं रह पाया था और धीरे धीरे पुनः पुरुष भागीदारी बढ़ने लगी। महिलाओं की सतत और निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करना एक चुनौती है जिसके लिए उचित रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इस stereo-type में न फस जाये कि मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दों पर केवल महिलाओं को ही काम करना चाहिए। CHSJ ने बहुत सक्रीय रूप से महिला स्वास्थ्य में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए

कार्य किया है। साथ ही महिला नेतृत्व केवल नाममात्र का न बन जाए इसका भी ध्यान रखना होगा।

- कुछ साथियों का ये भी कहना था कि संस्थाओं में धरातल स्तर पर भी महिला कार्यकर्ताओं की कमी है तो नेतृत्व भूमिका में लाने के लिए लम्बा एवं सतत प्रयास करना पड़ेगा। साथियों को स्वयं महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और संस्थाओं को भी तय्यारी करनी होगी महिलाओं को एक अनुकूल वातावरण (conducive atmosphere) देने के लिए जिससे कि उन्हें भी काम करने में आसानी हो और उनकी भागीदारी बढ़ सके।
- इस मुद्दे को सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक सोच केवल पुरुषों की है। महिलाएँ भी इससे ग्रसित होती हैं जो कि उनके व्यवहार में दिखाई देता है जो कि वह अपने से जूनियर महिलाओं से करती हैं। इस मुद्दे पर बहुत गहराई से विभिन्न तरीकों से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि महिला साथियों को मौका दिया जाए आगे बढ़कर अपनी बात रखने का जिससे उनका मनोबल बढ़ता है।
- समुदाय स्तर पर भी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने पर रणनीति बनानी चाहिए।
- सभी संस्थाओं में महिला व पुरुष साथियों के साथ जेंडर संवेदनशीलता को लेकर लगातार क्षमता वर्धन व बातचीत।

निर्णय

- राज्य स्तरीय समन्वय समिति में कम से कम 50% महिलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- राज्य समन्वय समिति में प्रत्येक जिले से दो साथियों द्वारा प्रतिनिधित्व जिसमें से एक महिला साथी का होना अनिवार्य होगा।

समन्वयन

- राज्य स्तर पर संयोजक समिति द्वारा अधिक जिम्मेदारी से काम करना। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी अभियान के कार्य और गतिविधि की प्लानिंग करना होगा करना। यह समिति हर माह भोपाल में बैठक करेगी अथवा फ़ोन पर conference द्वारा इस कार्य को पूर्ण करेगी।
- 6 माह के लिए यह जिम्मेदारी स्मृति को सौंपी गयी है और यह जिम्मेदारी हर 6 माह में बदल कर आपसी सहमती से दूसरे साथी को दी जाएगी। संयोजक समिति सदस्य-स्मृति, निधि, सुशील, रामजी, सावित्री और रुद्रा।

- आयोजक समिति में से निधि जी को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और इस संभाग के मजबूतीकरण के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी आयोजक दल की है।
- हर माह जिला बैठक व् हर 3 माह में संभागीय बैठक को नियमित करना।
- हर 3-4 माह में राज्य समन्वय समिति को नियमित करना। यह बैठक भी अलग अलग जिले पर करना और वहाँ पर बैठक पश्चात् टीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक हेतु रणनीति बनाना जिससे कि अभियान कि पहचान मज़बूत हो सके।
- बेहतर संचार हेतु पुनः संचार समिति के लिए रामजी द्वारा जिम्मेदारी ली गयी और सभी साथियों को फेसबुक पेज से जोड़ना, न्यूज़लैटर को दिसंबर माह में बनाने पर बात हुई। इस समिति को भी लगातार फ़ोन पर चर्चा करने का सुझाव आया। संचार समिति-रामजी, प्रमोद, केदार, निधि

प्रचार प्रसार सामग्री

- नयी संस्थाओं व् व्यक्तियों को अभियान से जोड़ने के लिए उनकी मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दे पर समझ बनाने की आवश्यकता होती है जिसके लिए कुछ प्रचार प्रसार सामग्री का निर्माण आवश्यक है।
- शासकीय सामग्री उपलब्ध है परन्तु फिर भी अभियान की विचारधारा को बताने हेतु सामग्री निर्माण की आवश्यकता है।
- राज्य स्तर पर एक संसाधन केंद्र की आवश्यकता है जो कि नियमित रूप से तथ्य एकत्रित कर प्रकाशित करे।
- न्यूज़लैटर को नियमित करना, मातृत्व स्वास्थ्य पर कुछ ब्रोशर, अभियान के कार्य पर पोस्टर या शोर्ट फिल्म, स्वास्थ्य प्रणाली को समझने हेतु पॉकेट डायरी जैसे सुझाव आये।
- अभियान की वास्तविक membership जानने हेतु पुनः फॉर्म भरवाकर साथियों से जानकारी एकत्रित की जाये।

क्षमता वर्धन की आवश्यकता

- मुद्दे पर संवेदनशीलता रखने वाले व्यक्तियों व् संस्थाओं को जोड़ना चाहिए।
- महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्षमता वर्धन एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे कि उनकी समझ व् कौशल निर्माण हो सके।
- साथ ही अन्य नए साथियों का भी समय समय पर मातृत्व स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर क्षमता वर्धन होना आवश्यक है जिससे कि उनका भी जुड़ाव अभियान के साथ बना रहे।

- राज्य स्तर के साथ साथ संभाग स्तर पर भी प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि ज्यादा लोगों का जुड़ाव बन सके।
- NAMHHR द्वारा आयोजित प्रजनन व् मातृ स्वास्थ्य एवं अधिकार प्रशिक्षण (15 से 17 नवम्बर)में MHRC व् अन्य संस्थाओं व् अभियान से महिला साथियों ने भाग लिया । नए साथियों को अभियान से जोड़ा जाएगा। तय किया गया कि उन्हें MHRC मेम्बरशिप फॉर्म भेजा जाये व उनसे सम्बंधित अंचल जिम्मेवार व्यक्ति संपर्क करे।
- उपरोक्त प्रशिक्षण संभाग स्तर पर आयोजित करने हेतु रणनीति बनायीं जाएगी।

सामुदायिक निगरानी की नियमितता

- निरंतर रूप से समुदाय आधारित निगरानी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के आवश्यकता है क्यूंकि एक बार की गयी प्रक्रिया का कोई ठोस असर नहीं पड़ता है इसके द्वारा पैरोकारी संभव नहीं है। इसके लिए गहतना से रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक जिले में 4 लोगों (2 महिला 2 पुरुष) की एक टीम बनाने की आवश्यकता जो कि स्थानीय मुद्दों पर निगरानी कर सकें और साक्ष्य एकत्रित करें।
- सामुदायिक निगरानी से निकले आंकड़ों को संकलित कर अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद।
- मिडिया में आई खबरों का जिलेवार आंकलन करना और जिला व् राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, स्वास्थ्य विभाग में आवेदन देना।
- नसबंदी शिविर अवलोकन, मातृ मृत्यु समीक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी आदि द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के सुझाव आये।

निर्णय

- प्रत्येक जिले में निगरानी हेतु 4 लोगों की टीम का गठन
- प्रत्येक जिले में साथी आपसी सहमति से मातृत्व स्वास्थ्य से जुड़े कोई एक या दो मुद्दों पर सतत निगरानी (वार्षिक या 6 माह स्तर पर) करेंगे और संभाग व राज्य स्तर पर (प्रति वर्ष कम से कम से एक) जनसंवाद, मिडीया परिचर्चा या अन्य माध्यम से पैरवी करेंगे।

अभियान की पहुँच व् पहचान बढ़ाना

- संस्थाओं को एक दूसरे का support बनने की आवश्यकता है क्यूंकि सरकार से जवाबदेही मांगने के कार्य में काफी परेशानियाँ सामने आती हैं। कई बार जिले स्तर पर एक संस्था द्वारा जूझते रहने से कोई परिणाम नहीं निकल पाता है और मनोबल टूटता है।
- संभाग में अन्य जिलों के साथियों द्वारा एक दूसरे के जिले में जाकर बैठकें करना व् स्वास्थ्य विभाग से मिलना ऐसे सुझाव दिए गए।

